


सैरात बन्दोवस्ती की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सुलतानगंज नगर परिषद के निम्नांकित सैरातों की अस्थायी बन्दोवस्ती खुली डाक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 03.03.2020 को 01:00 बजे अपराहन नगर परिषद कार्यालय में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर डाक में भाग ले सकते हैं।

यदि बन्दोवस्ती उपरोक्त तिथि को नहीं हो पाने की स्थिति में पुनः दिनांक 07.03.2020 को निर्धारित समय एवं स्थान पर की जायगी। इसके उपरान्त भी नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक 12.03.2020 को निर्धारित समय एवं स्थान पर की जाएगी। इसके लिए सूचना निर्गत नहीं की जायगी।

क्र०	सैरातों का विवरण	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि
1	नगर परिषद, सुलतानगंज क्षेत्रान्तर्गत हाट बाजार में लगने वाले फुटकर, सब्जी दुकान, आढ़तदारों से नाला एवं सड़क के किनारे लगने वाले दुकानों से बट्टी कर के रूप में वसूली करने हेतु खुला डाक द्वारा बन्दोवस्ती की जायगी। (नगर परिषद द्वारा निर्मित हाट बाजार छोड़ कर)	720502.00	72050.00
2	नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत बोर्ड-बैनर, तोरण द्वार, दिवाल लेखन, फ्लैक्स एवं होर्डिंग बगैरह के विज्ञापन हेतु खुला डाक द्वारा बन्दोवस्ती की जायगी।	176000.00	17600.00
3	जहाज घाट स्थित शौचालय की बन्दोवस्ती खुला डाक के माध्यम से की जायगी।	9735.00	974.00
4	प्रखंड परिसर के पश्चिमी गेट से पश्चिम एन.एच. 80 से सटा नाला से दक्षिण खाली भू-खण्ड की बन्दोवस्ती खुला डाक द्वारा की जायगी।	77000.00	7700.00 श्रावणी मेला 2020 के लिए।

विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय नगर परिषद, सुलतानगंज से सम्पर्क किया जा सकता है।


24/2/2020

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सुलतानगंज
24/2/2020

बन्दोवस्ती की सेवा शर्तें :-

1. डाक में भाग लेने के पूर्व 10% राशि जमा करना होगा अन्यथा डाक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।
2. सफल डाक वक्ता के जमानत के राशि डाक की राशि समायोजित की जाएगी तथा असफल डाक वक्ता को जमानत की राशि वापस की जाएगी।
3. डाक वक्ता के पास नगर परिषद का किसी भी तरह का बकाया राशि रहने पर डाक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।
4. उच्चतम डाक वक्ता को डाक समाप्ति के पश्चात् डाक की राशि का 5 प्रतिशत निबंधन शुल्क एवं 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क एक मुश्त जमा करना होगा।
5. डाक की राशि जमा करने के लिए नगद राशि भी स्वीकार की जाएगी।
6. जो डाक वक्ता डाक बोलकर राशि जमा नहीं करेंगे उनके जमानत की राशि जब्त करली जाएगी।

7. डाक में उच्चतम बोलने वालों के साथ बन्दोबस्ती की जाएगी।
8. निर्धारित दर से अधिक अथवा नाजायज वसूली करने पर बन्दोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा।
9. प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
10. डाक बोलने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र देना होगा।
11. डाक कराने वाले पदाधिकारी को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि किसी भी समय बिना कारण बताए बन्दोबस्ती रद्द कर सकते हैं।
12. शेरती के खतरा में कम खर्चा 2 मी. अंकित विज्ञापन खर्ची शेरती में विज्ञापन है, निर्मित विशिष्ट पोल का विज्ञापन शामिल नहीं है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सुलतानगंज

ज्ञापांक - 418

दिनांक - 26-2-2020

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि - अपर समाहर्ता, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - उपविकास आयुक्त, भागलपुर, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुलतानगंज को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अंचलाधिकारी, सुलतानगंज को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - थानाध्यक्ष, सुलतानगंज को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - डाकधर, सुलतानगंज को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभापति, उप सभापति नगर परिषद, सुलतानगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सुलतानगंज

ज्ञापांक -

418

दिनांक 26-2-2020

प्रतिलिपि - IT प्रबंधक NIC भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। सादर अनुरोध है कि जिला के वेबसाईट पर सूचना अपलोड करने की कृपा की जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद सुलतानगंज

ज्ञापांक - 418

दिनांक - 26-2-2020

प्रतिलिपि - योजना सहायक को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि नगर परिषद के सूचना पट पर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एतद् विषयक सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद सुलतानगंज